

स्पीड पोस्ट द्वारा

डीजीटी-Daff/26/2020- O/o DIR (TC)(बिहार)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

प्रथम मंजिल, पूसा कैंपस,  
नई दिल्ली, दिनांक 23.06.2020

सेवा में,

प्रधानाचार्य  
मॉडल औ. प्र. केंद्र, ( PR10000457)  
राम नगर, रोड न०- 4, पोस्टल पार्क,  
कंकरबाग, पटना, बिहार

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस**  
।

महोदय ,

इस निदेशालय को सुधांशु शेखर C/o श्री विपिन बिहारी पाठक ग्रा० जासो, पो० + जि० बक्सर, बिहार 802101 दिनांक 15.05.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की निदेशालय को दिनांक 26.05.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमे यह बताया गया है कि संस्थान पूर्णतः बंद हो चुका है, वर्तमान में इस संस्थान का कोई अस्तित्व मौजूद नहीं है (पत्र की प्रति संलग्न)।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी- एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये। आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (10.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते है, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)  
निदेशक (प्रशि०)

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन विकास भवन, पटना, बिहार-800015।

  
(चि. रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

स्पीड पोस्ट द्वारा

डीजीटी-Daff/26/2020- O/o DIR (TC)(बिहार)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

प्रथम मंजिल, पूसा कैंपस,  
नई दिल्ली, दिनांक 23.06.2020

सेवा में,

प्रधानाचार्या

मोकामा आई. टी. आई. (PR10000156)

NH-31 Opp. Bharat Wagon Company,

मोकामा, पटना, बिहार-803302

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस**


।

महोदय,

इस निदेशालय को श्री सुधांशु शेखर C/o श्री विपिन बिहारी पाठक ग्रा० जासो, पो० + जि० बक्सर, बिहार 802101 दिनांक 15.05.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की निदेशालय को दिनांक 26.05.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि उपरोक्त वर्णित आई० टी० आई० में अवैध रूप से नामांकन लेकर बिना कोई पठन-पाठन एवं अभिभावकों को लुटा जा रहा है (पत्र की प्रति संलग्न)।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये। आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (10.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक (प्रशि०)

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन विकास भवन, पटना, बिहार-800015।



(चि. रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

स्पीड पोस्ट द्वारा

डीजीटी-Daff/26/2020- O/o DIR (TC)(बिहार)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

प्रथम मंजिल, पूसा कैंपस,  
नई दिल्ली, दिनांक 23.06.2020

सेवा में,

प्रधानाचार्या

झलक बाबा आई. टी. आई. (PR10000290)

बिहिया रोड, पीरो, भोजपुर

बिहार-802207

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस**  
।


महोदय ,

इस निदेशालय को श्री सुधांशु शेखर C/o श्री विपिन बिहारी पाठक ग्रा० जासो, पो० + जि० बक्सर, बिहार 802101 दिनांक 15.05.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की निदेशालय को दिनांक 26.05.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि उपरोक्त वर्णित आई० टी० आई० में अवैध रूप से नामांकन लेकर बिना कोई पठन-पाठन एवं अभिभावकों को लुटा जा रहा है (पत्र की प्रति संलग्न) ।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी- एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (10.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते है, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक (प्रशि०)

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन विकास भवन, पटना, बिहार-800015 ।



(चि. रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

डीजीटी-Daff/26/2020- O/o DIR (TC)(बिहार)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

प्रथम मंजिल, पूसा कैंपस,  
नई दिल्ली, दिनांक 23.06.2020

सेवा में,

प्रधानाचार्या  
पाटलीपुत्रा औ. प्र. केंद्र (PR10000136)  
बिहिया रोड, पीरो, भोजपुर  
बिहार-802207

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस**


महोदय ,

इस निदेशालय को श्री सुधांशु शेखर C/o श्री विपिन बिहारी पाठक ग्रा० जासो, पो० + जि० बक्सर, बिहार 802101 दिनांक 15.05.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की निदेशालय को दिनांक 26.05.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमे यह बताया गया है कि उपरोक्त वर्णित आई० टी० आई० में अवैध रूप से नामांकन लेकर बिना कोई पठन-पाठन एवं अभिभावकों को लुटा जा रहा है (पत्र की प्रति संलग्न)।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये। आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (10.07.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते है, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)  
निदेशक (प्रशि०)

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन विकास भवन, पटना, बिहार-800015।



(चि. रवि चिलुकोटी)  
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)